(142)

संख्या–91 /XVIII-(2)/F/12–16(1)/2012

प्रेषक,

आर.सी. पाठक,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादून. दिनांक 11 मई, 2012

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपद रूद्रप्रयाग के ग्राम छातीखाल के 04 प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–2173/41–1/2010–11, दिनांक 31 मार्च, 2012 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में सम्यंक विचारोपरान्त जनपद रूद्रप्रयाग के छातीखाल (सिरोबगढ़) के भूस्खलन से प्रभावित परिवारों में से अत्यधिक खतरे की जद में रह रहे 04 परिवारों के विस्थापन/पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए भवन निर्माण हेतु ₹ 3.00 लाख, गौशाला निर्माण हेतु ₹ 15,000/– एवं विस्थापन भत्ता के रूप में ₹ 10,000/– इस प्रकार से कुल ₹ 3.25 लाख प्रति परिवार की दर से 04 परिवारों हेतु कुल ₹ 13.00 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

2– प्राकृतिक आपदा से संकटग्रस्त ग्रामों के अन्यत्र विस्थापन/पुनर्वास के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2063/XVIII-(2)/11-16(1)/2007, दिनांक 19 अगस्त, 2011 के माध्यम से जारी नीति/दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

3– ग्रामवासियों से इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा कि वे स्वयं प्रस्तावित भूमि पर बसने हेतु इच्छुक है एवं उन्हें प्रस्तावित भूमि में बसने में कोई आपत्ति नहीं है।

4– किसी व्यक्ति के बच्चों को अलग परिवार तभी माना जायेगा, जबकि उन बच्चों का विवाह हो चुका हो एवं वे अलग–अलग निजी/स्वयं के मकानों में निवासरत् हो। एक ही मकान में रह रहे परिवार के सदस्यों को अलग–अलग लाभ नहीं दिया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति व मदवार व्यय विवरण उपलब्ध कराया जाए। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य आयोजनागत–800–अन्य व्यय–00–05–दैवी आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–07P/वित्त अनु0–5/2012 दिनांक 03 मई, 2012 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर.सी. पाठक)
सचिव

संख्या– 191/I(1)/XVIII-(2)/12–16(1)/2007 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4– कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
5– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय।
6– निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
7– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशलालय, उत्तराखण्ड।
10– वित्त अनुभाग–5,
11– धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव